

## परिशिष्ट - 1.1

## राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)

(संदर्भ: कंडिका राज्य की रूपरेखा एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 36)

क	सामान्य आंकड़े *		विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र			3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार		7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 %)			38.30 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 %)		69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 %)		70.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 42 प्रति 1000 जीवित बच्चे)			67
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा** (अखिल भारतीय औसत=66.1 वर्ष)			58 वर्ष
8	जिनी कोएफिशियेन्ट***			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)		0.29
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.38)		0.36
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2012-13			₹ 3,61,874 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2003-04 से 2012-13)	मध्य प्रदेश		13.06 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य		14.94 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	मध्य प्रदेश		15.00 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य		16.37 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	मध्य प्रदेश		16.58 प्रतिशत
		सामान्य संवर्ग के राज्य		13.22 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े			
	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2003-04 से 2011-12	
			सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्ति के	17.48	17.84	19.39
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	17.44	16.56	18.20
ग.	करेतर राजस्व के	12.64	19.73	18.85
घ.	कुल व्यय के	14.15	15.58	15.97
ङ.	पूंजीगत व्यय के	16.83	14.49	17.65
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	16.85	17.17	18.55
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	15.35	13.78	17.01
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	14.18	11.47	13.05
झ.	पेन्शन के	18.36	15.53	17.07

स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेख पर आधारित हैं

- \* सामान्य आंकड़े: गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन. एस. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र)
- \*\* जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय), आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12, संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर
- \*\*\* जिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है; एक के निकट असमानता ज्यादा है
- टिप्पणी: सामान्य संवर्ग के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना, सामान्य संवर्ग के 16 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है (दिल्ली, गोवा, और पुडुचेरी को छोड़कर)

## परिशिष्ट - 1.2

### भाग-क

#### सरकारी लेखों की संरचना

#### (संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

**भाग I : समेकित निधि :** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

**भाग II : आकस्मिकता निधि :** संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

**भाग III : लोक लेखा :** प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

#### वित्त लेखों की रूपरेखा 2012-13

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुसूचित व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	रूपरेखा
1	राज्य की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति जिसमें 2012-13 के अन्त में सरकार की परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित संचयी आंकड़े दिये गये हैं।
2	वर्ष के दौरान सरकार के लेखों के तीन भागों सभी में प्राप्ति और संवितरणों का संक्षेप
3	समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्ति, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान और पूंजीगत, लोक ऋण और अन्य प्राप्ति का संक्षेप
4	राज्य की समेकित निधि के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत चालू वर्ष में व्यय का संक्षेप
5	2012-13 के दौरान तथा अन्त में मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विवरण
6	राज्य की ऋण स्थिति का संक्षेप जिसमें आंतरिक ऋणों, भारत सरकार, अन्य दायित्वों और ऋण शोधन से उधारियाँ सम्मिलित हैं।
7	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों एवं पुनर्भुगतान की गई, बकाया वसूलियों आदि का संक्षेप
8	सरकार द्वारा नकद और वस्तुरूप में दिया गया सहायता अनुदान तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु जारी अनुदान, का संक्षिप्त विवरण पत्रक
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षेप
10	दत्तमत एवं प्रभारित के मध्य व्यय का वितरण
11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति का विस्तृत लेखा
12	पृथक से आयोजनेत्तर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत लेखा
13	वर्ष के दौरान पृथक से आयोजनेत्तर, आयोजना और केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लघु शीर्षवार पूंजीगत व्यय और 2012-13 के अन्त तक कुल व्यय के विस्तृत लेखे
14	वर्ष 2012-13 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ, सहकारी बैंक, समितियों आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण और अंश पूंजी और डिबेंचरों के बीच निवेश का तुलनात्मक सारांश भी देती हैं।
15	उधारियों एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण जिसके 2012-13 के अंत तक तथा के दौरान, लोक ऋण तथा अन्य ब्याज दायित्व, परिपक्वता रूपरेखा, पुनर्भुगतान अनुसूची तथा ब्याज दर रूपरेखा दर्शायी गयी हैं।
16	31 मार्च 2013 को बकाया शेष, वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान की गयी राशि, म.प्र. सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों का विस्तृत लेखा तथा आयोजना उद्देश्य और केन्द्र प्रवर्तित आयोजनाओं के लिये वर्ष के दौरान दिये गये कर्ज
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त अन्य निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विस्तृत विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत लेखा
19	आरक्षित निधियों के उद्दिष्ट शेषों का विवरण

## परिशिष्ट - 1.2 समाप्त

## भाग ख

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2013 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
<b>I- देयताएं-</b>					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-2.38)	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94	45.49	11.55	102.47	17 एवं 18
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18	18
<b>II- परिसम्पत्तियां-</b>					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75	5 एवं 13
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1185.46	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु कृपया वित्त लेखे देखें ।

**परिशिष्ट - 1.3**  
**राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली**  
**(संदर्भ: कण्डिका 1.1; पृष्ठ 3)**  
**भाग क**

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम **(परिशिष्ट 1.3 का भाग-ख)** के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

**सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति**

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	197276	227984	260198	309687	361874
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	22.17	15.57	14.13	19.02	16.85

*स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार*

\*2010-11 एवं 2011-12 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित हैं इसलिए पूर्व के प्रतिवेदनों में दर्शित 2010-11 एवं 2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता/अनुपात प्रतिशत भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।

**परिशिष्ट - 1.3 जारी ....**  
**राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005**  
**(संदर्भ: कण्डिका 1.1; पृष्ठ 3)**

**भाग ख**

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम करे जिससे इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य को निर्मित किया जा सके;
- राजकोषीय घाटा के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संशोधन अनुसार, 31 मार्च 2012 तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना;
- 10 वर्षों की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करना, अर्थात् 31 मार्च 2015 को कुल दायित्व उस वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो; और
- वार्षिक संवृद्धि कारक गारंटी को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमेन में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

**राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र**

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2012-13 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति मुक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2010-11 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2011-12 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2012-13 हेतु बजट अनुमान मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत किये गये हैं (परिशिष्ट 1.3 भाग-ग)।

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा  
तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(कर्ज तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियाँ
चालू राजस्व से शेष	मुख्य शीर्ष-2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों में से सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विकलन
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां-(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

## परिशिष्ट - 1.3

## भाग ग (समाप्त)

## चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

(संदर्भ: कण्डिका 1.1 एवं 1.1.2; पृष्ठ 3, 4)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2010-11 का लेखा	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2010-11 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2011.12 पुनरीक्षित अनुमान	2012-13 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	51854.18	63535.25	69913.51	22.53	10.04
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	37057.85	44674.90	49916.44	20.55	11.73
2.1	राज्य कर	21419.34	25888.43	28311.96	20.86	9.36
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	15638.51	18786.47	21604.48	20.13	15.00
3	करेत्तर राजस्व	5719.77	6991.20	7326.89	22.23	4.80
4	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	9076.56	11869.15	12670.18	30.77	6.75
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	5009.65	19731.74	10086.73	293.87	-48.88
6	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली	401.84	9171.97	99.48	2182.49	-98.92
7	शुद्ध लोक ऋण	4928.71	7434.17	9460.35	50.83	27.25
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	-320.90	3125.60	526.90	-1074.01	-83.14
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	56863.83	83266.99	80000.24	46.43	-3.92
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	45011.59	55744.10	63543.50	23.84	13.99
10.1	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	32100.87	39200.52	44597.10	22.12	13.77
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	12910.72	16543.58	18946.40	28.14	14.52
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज अदायगियाँ	5048.95	5666.73	6275.08	12.24	10.74
10.3.2	राजसहायताएं	16709.14	20032.19	22768.08	19.89	13.66
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	13290.76	17035.33	19901.04	28.17	16.82
10.3.4	पेंशन भुगतान	3766.53	4968.05	5825.85	31.90	17.27
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	8799.88	9274.61	10820.22	5.39	16.66
11.1	आयोजनेत्तर पूँजीगत व्यय	142.81	45.98	46.05	-67.80	0.15
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	8657.07	9228.63	10774.17	6.60	16.75
12	कर्ज एवं अग्रिम (12.1+12.2)	3716.58	15619.46	5667.26	320.26	-63.72
12.1	आयोजनेत्तर कर्ज एवं अग्रिम	2763.51	14068.40	3644.35	409.08	-74.10
12.2	आयोजना कर्ज एवं अग्रिम	953.07	1551.06	2022.91	62.74	30.42
13	कुल व्यय (13.1+13.2)	57528.05	80638.17	80030.98	40.17	-0.75
13.1	आयोजनेत्तर व्यय (10.1+11.1+12.1)	35007.19	53314.90	48287.50	52.30	-9.43
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	22520.86	27323.27	31743.48	21.32	16.18
14	राजस्व घाटा (1-10)	6842.59	7791.15	6370.01	13.86	-18.24
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-5272.03	-7930.95	-10017.99	50.43	26.32
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	-223.08	-2264.22	-3742.91	914.98	65.31

परिशिष्ट - 1.4

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े  
(संदर्भ: कण्डिका 1.1 , 1.9.2 एवं 1.10.4; पृष्ठ 3, 41, 46)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग क. प्राप्तियां</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>33577(39)</b>	<b>41395(40)</b>	<b>51854(41)</b>	<b>62604(41)</b>	<b>70427(43)</b>
<b>(i) कर राजस्व</b>	<b>13614(41)</b>	<b>17273(42)</b>	<b>21419(41)</b>	<b>26973(43)</b>	<b>30582(43)</b>
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6843(50)	7724 (45)	10257(48)	12517(46)	14856(49)
राज्य उत्पाद शुल्क	2302(17)	2952 (17)	3603(17)	4317(16)	5078(17)
वाहन कर	773(6)	919 (5)	1198(6)	1357(5)	1531(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1479(11)	1783 (10)	2514(12)	3284(12)	3944(13)
भू-राजस्व	339(2)	180 (1)	361(2)	279(1)	444(1)
माल तथा यात्री कर	1333(10)	1333 (8)	1746(8)	2047(8)	2395(8)
अन्य कर	545(4)	2382 (14)	1740(8)	3172(12)	2334(8)
<b>(ii) करेतर राजस्व</b>	<b>3343(10)</b>	<b>6382 (15)</b>	<b>5720(11)</b>	<b>7483(12)</b>	<b>7000(10)</b>
<b>(iii ) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश</b>	<b>10767(32)</b>	<b>11077(27)</b>	<b>15638(30)</b>	<b>18219(29)</b>	<b>20805(30)</b>
<b>(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>	<b>5853(17)</b>	<b>6663 (16)</b>	<b>9077(18)</b>	<b>9929(16)</b>	<b>12040(17)</b>
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>367</b>	<b>23</b>	<b>31</b>
<b>2 क.अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>9123</b>	<b>33</b>
<b>4. कुल राजस्व तथा ऋणैतर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)</b>	<b>33656</b>	<b>41443</b>	<b>52257</b>	<b>71753</b>	<b>70500</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>6553(8)</b>	<b>8603(8)</b>	<b>7458(6)</b>	<b>6750(4)</b>	<b>8791</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़ कर)	5399(82)	7258 (84)	6363(85)	5718(85)	7234(82)
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1154(18)	1345 (16)	1095(15)	1032(15)	1557(18)
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)</b>	<b>40209</b>	<b>50046</b>	<b>59715</b>	<b>78503</b>	<b>79291</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>--</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियां</b>	<b>46460(54)</b>	<b>52353(51)</b>	<b>65675(52)</b>	<b>76315(49)</b>	<b>86248(52)</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>86669</b>	<b>102399</b>	<b>125390</b>	<b>154918</b>	<b>165539</b>
<b>भाग ख. व्यय/संवितरण</b>					
<b>10.राजस्व व्यय</b>	<b>29514(77)</b>	<b>35897(75)</b>	<b>45012(78)</b>	<b>52694(68)</b>	<b>62968(79)</b>
आयोजना	7622(26)	9838 (27)	12911(29)	16017(30)	18349(29)
आयोजनेतर	21892(74)	26059(73)	32101(71)	36677(70)	44619(71)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	10162(34)	12014(34)	14647(33)	16229(31)	17705(28)
सामाजिक सेवाएं	10146(34)	12962 (36)	17345(39)	20297(38)	24375(39)
आर्थिक सेवाएं	7431(25)	8371 (23)	10084(22)	12965(25)	16823(27)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1775(6)	2550 (7)	2935(7)	3203(6)	4065(6)
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>6713(18)</b>	<b>7925 (17)</b>	<b>8800(15)</b>	<b>9055(12)</b>	<b>11567(14)</b>
आयोजना	6503(97)	7864 (99)	8657(98)	9023(100)	11543(100)

आयोजनेत्तर	210(3)	61 (1)	143(2)	32(0)	24(0)
सामान्य सेवाएं	125(2)	119 (1)	179(2)	167(2)	205(2)
सामाजिक सेवाएं	1295(19)	1178 (15)	1532(17)	1599(18)	1621(14)
आर्थिक सेवाएं	5293(79)	6628 (84)	7089(81)	7289(80)	9741(84)
<b>12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>1861(5)</b>	<b>3817 (8)</b>	<b>3715(6)</b>	<b>15760(20)</b>	<b>5378(7)</b>
<b>13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>14. योग (10+11+12+13)</b>	<b>38089</b>	<b>47642</b>	<b>57529</b>	<b>77513</b>	<b>79920</b>
<b>15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>1961</b>	<b>2394</b>	<b>2529</b>	<b>3150</b>	<b>3584</b>
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	1516	1938	2012	2520	2936
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	445	456	517	630	648
<b>16. आकस्मिकता निधि में विनियोग</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>--</b>
<b>17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)</b>	<b>40050</b>	<b>50036</b>	<b>60058</b>	<b>80763</b>	<b>83504</b>
<b>18. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>45989</b>	<b>50872</b>	<b>62344</b>	<b>73279</b>	<b>82736</b>
<b>20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)</b>	<b>86039</b>	<b>100908</b>	<b>122402</b>	<b>154042</b>	<b>166240</b>
<b>भाग ग. घाटे</b>					
21. राजस्व घाटे (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	4063	5498	6842	9910	7459
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	-4433	-6199	-5272	-5760	-9420
23. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (22+24)	-241	-1745	-223	-460	-3846
<b>भाग घ. अन्य आंकड़े</b>					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4192	4454	5049	5300	5574
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1087	1434	9117	10830	13487
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	2	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	0.01/00	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद <sup>1</sup>	197276	227984	260198	309687	361874
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	60432	67853	75504	81757	90168

<sup>1</sup> सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
30. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1930	1630	5111	5605	7720
31. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	11991	11823	8439	11108	14752
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	45	55 <sup>2</sup>
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियाँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9356.46	2412.53 <sup>2</sup>
<b>भाग-ड राजकोषीय स्थिति के संकेतक</b>					
<b>I संसाधन संग्रहण</b>					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.90	7.58	8.23	8.71	8.45
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.69	2.80	2.20	2.42	1.93
केन्द्रीय अंतरण <sup>3</sup> / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.42	7.78	9.50	9.09	9.08
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.70	0.87	1.05	0.80	0.93
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	20.90	22.11	25.03	22.09
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	113.44	115.09	110.94	123.81	113.48
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	77.49	75.35	78.24	67.98	78.79
सामान्य सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	27.08	25.56	25.81	21.16	22.47
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	30.65	30.10	33.14	28.43	32.69
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	37.61	38.98	35.93	46.28	39.75
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.62	16.63	15.30	11.68	14.47
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	17.29	16.38	14.99	11.47	14.22
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन</b>					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+2.06	+2.41	+2.63	+3.20	+2.06
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.25	-2.72	-2.03	-1.86	-2.60
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-0.12	-0.77	-0.09	-0.15	-1.06

<sup>2</sup> संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी

<sup>3</sup> केन्द्रीय अन्तरण में संघ करों/शुल्कों का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट हैं।

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	लागू नहीं				
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	12.84	13.79	15.36	15.30	15.86
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन</b>					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	30.63	29.76	29.02	26.40	24.92
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियों के सामने	179.98	163.92	145.61	130.59	128.03
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(+)3764	(+)2117	(+)8333	(+)10390	(+)4632
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.95	0.84	0.87	0.95	0.86
<b>V अन्य राजकोषीय संकेतक</b>					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	69.05 (0.72)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6846	10206	12313	18112	14101
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	1.01	0.91	0.82	0.72	0.67

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

#### परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट - 1.5** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपाजन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य हास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए है। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चेक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 262.75 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 280.18 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2013 के लेखाओं के बंद होने पर ₹ 17.43 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। मई 2013 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 18.36 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने राजस्व आधिक्य 2004-05 के बाद से वर्तमान तक बनाए रखा है।

परिशिष्ट - 1.5

भाग क

वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(संदर्भ: कण्डिका 1.1.1; पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
					2012-13			
2011-12			2012-13	2011-12		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
भाग-क:राजस्व								
62604.07	I	राजस्व प्राप्तियां	70427.28	52693.71	राजस्व व्यय	44619.20	18349.33	62968.53
26973.44		- कर राजस्व	30581.70	16228.64	सामान्य सेवाएं	17613.11	92.03	17705.14
				20296.94	सामाजिक सेवाएं	12686.85	11688.62	24375.47
7482.73		- करेत्तर राजस्व	7000.22	9808.89	-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	8134.29	2762.13	10896.42
				2431.38	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014.77	1113.45	3128.22
18219.13		- संघ करों में राज्य का भाग	20805.16	1803.83	- जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	910.41	1831.08	2741.49
2113.47		- आयोजनेत्तर अनुदान	332.93	92.48	- सूचना एवं प्रसारण	143.38	5.87	149.25
				1809.68	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	357.92	1920.01	2277.93
4215.28		- राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	7099.43	167.60	- श्रमिक तथा श्रम कल्याण	135.77	53.95	189.72
				4151.89	- समाज कल्याण एवं पोषण	899.64	4002.13	4901.77
3600.02		- केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	4607.84	31.19	- अन्य	90.67	-	90.67
				12964.91	आर्थिक सेवाएं	11019.66	5803.69	16823.35
				5029.90	-कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3778.15	2242.93	6021.08
				2922.22	- ग्रामीण विकास	1156.29	2583.99	3740.28

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2011-12			2012-13	2011-12		2012-13		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
				654.09	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	514.91	205.21	720.12
				2070.86	- ऊर्जा	2441.61	358.00	2799.61
				1207.50	- उद्योग एवं खनिज	1781.25	279.32	2060.57
				891.88	- परिवहन	1277.74	0.07	1277.81
				46.84	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.55	57.78	63.33
				141.62	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	64.16	76.39	140.55
				<b>3203.22</b>	<b>सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>3299.57</b>	<b>765.00</b>	<b>4064.57</b>
	<b>II</b>	<b>भाग ख में अग्रणीत राजस्व घाटा</b>		<b>9910.36</b>	<b>भाग ख में अग्रणीत राजस्व आधिक्य</b>			<b>7458.75</b>
<b>62604.07</b>		<b>योग</b>	<b>70427.28</b>	<b>62604.07</b>	<b>योग</b>			<b>70427.28</b>
<b>भाग ख</b>								
<b>6900.44</b>	<b>III</b>	<b>प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित</b>	<b>7775.88</b>	--	<b>भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष</b>			
<b>22.65</b>	<b>IV</b>	<b>विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>31.45</b>	<b>9055.16</b>	<b>पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>23.91</b>	<b>11542.98</b>	<b>11566.89</b>
				<b>167.16</b>	<b>सामान्य सेवाएं</b>	<b>4.73</b>	<b>200.16</b>	<b>204.89</b>
				<b>1599.12</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>	<b>9.68</b>	<b>1611.31</b>	<b>1620.99</b>
				171.72	- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	-	147.02	147.02
				141.57	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3.49	173.31	176.80
				743.38	- जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	-	827.32	827.32
				-	- सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
				420.74	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	440.60	440.60
				107.28	- समाज कल्याण एवं पोषण	6.19	2.26	8.45
				14.43	- अन्य सामाजिक सेवाएं	-	20.80	20.80

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13			
					आयोजनेतर	आयोजना	योग	
			<b>7288.88</b>	<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>9.50</b>	<b>9731.51</b>	<b>9741.01</b>	
			127.48	- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	-	345.60	345.60	
			974.37	- ग्रामीण विकास	-	1451.76	1451.76	
			3317.73	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	4268.95	4268.95	
			1025.83	- ऊर्जा	-	1226.49	1226.49	
			39.19	- उद्योग एवं खनिज	9.50	203.97	213.47	
			1728.41	- परिवहन	-	2115.75	2115.75	
			3.85	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	-	29.00	29.00	
			72.02	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	89.99	89.99	
<b>9122.56</b>	<b>V</b>	<b>कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ</b>	<b>32.53</b>	<b>15760.56</b>	<b>कर्ज तथा अग्रिम संवितरित</b>	<b>3842.13</b>	<b>1536.12</b>	<b>5378.25</b>
9084.67		- बिजली परियोजनाओं से	-	15100.22	- बिजली परियोजनाओं के लिए	3770.64	786.63	4557.27
								310.33
								336.08
-0.10		- सरकारी कर्मचारियों से	0.17	0.04	- सरकारी कर्मचारियों के लिए	0.01	--	0.01
37.99		-अन्यो से	32.36	660.30	-अन्यो के लिये	71.48	749.49	174.56
<b>2.65</b>	<b>VI</b>	<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>	<b>9.14</b>	<b>3.70</b>	<b>अन्तर्राज्यीय परिशोधन</b>			<b>7.02</b>
<b>9910.36</b>	<b>VII</b>	<b>अधोनीत राजस्व आधिक्य</b>	<b>7458.75</b>		<b>अधोनीत राजस्व घाटा</b>			
<b>6750.25</b>	<b>VIII</b>	<b>लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>8791.16</b>	<b>3149.79</b>	<b>लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>			<b>3583.94</b>
5717.65		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	7233.85	2520.28	- अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण			2935.53
		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन	-	--	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन			-
		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	-	--				

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण			
2011-12			2012-13	2011-12		2012-13		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1032.60		- केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1557.31	629.51	- केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान			648.41
--	<b>IX</b>	आकस्मिक निधि को विनियोग	-	100.00	आकस्मिक निधि को विनियोग			-
<b>100.00</b>	<b>X</b>	आकस्मिक निधि को अंतरित राशि	-	--	आकस्मिक निधि से व्यय			-
<b>76315.22</b>	<b>XI</b>	लोक लेखा प्राप्तियां	<b>86247.57</b>	<b>73279.04</b>	लोक लेखा प्राप्तियां			<b>82735.57</b>
2033.07		- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	2319.03	1335.10	- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां			1481.96
1534.55		- आरक्षित निधियां	2441.27	342.74	- आरक्षित निधियां			421.48
50619.85		- उच्चत तथा विविध	59818.65	50648.06	- उच्चत तथा विविध			59911.79
12256.15		- प्रेषण	15167.15	11865.16	- प्रेषण			14766.89
9871.60		- जमा एवं अग्रिम	6501.47	9087.98	- जमा एवं अग्रिम			6153.45
	<b>XII</b>	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम अधिविकर्ष	-	<b>7775.88</b>	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष			<b>7074.81</b>
				2.61	- खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			-
				692.55	- रिजर्व बैंक में जमा			(-)262.75 <sup>4</sup>
				3.29	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			133.05
				7077.43	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			7204.51
<b>171728.20</b>		<b>योग</b>	<b>180773.76</b>	<b>171728.20</b>	<b>योग</b>			<b>180773.76</b>

<sup>4</sup> भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 262.75 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 280.18 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2013 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 17.43 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। मई 2013 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 18.36 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

परिशिष्ट - 1.5 जारी ....

भाग ख (समाप्त)

31 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कण्डिका 1.9.1; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

31.03.2012 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2013 की स्थिति में
<b>50011.01</b>	<b>आन्तरिक ऋण-</b>	<b>54309.33</b>
28043.60	ब्याज वाले बाजार कर्ज	31406.58
0.38	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.43
105.48	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	94.37
5780.53	अन्य संस्थाओं से कर्ज	6001.52
16081.02	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16806.00
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
<b>11358.91</b>	<b>केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-</b>	<b>12267.81</b>
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
53.87	आयोजनेत्तर कर्ज	50.17
11303.16	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	12215.76
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए कर्ज	--
<b>200.00</b>	<b>आकस्मिकता निधि</b>	<b>200.00</b>
<b>9916.31</b>	<b>अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि</b>	<b>10752.33</b>
<b>7300.27</b>	<b>जमा</b>	<b>7649.77</b>
<b>3567.37</b>	<b>आरक्षित निधियां</b>	<b>5587.16</b>
<b>166.06</b>	<b>उचन्त तथा विविध शेष</b>	<b>87.81</b>
<b>680.39</b>	<b>प्रेषण शेष</b>	<b>1080.65</b>
<b>83200.32</b>	<b>योग</b>	<b>91934.86</b>
	<b>परिसम्पत्तियां</b>	
<b>76917.21</b>	<b>स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-</b>	<b>88452.66</b>
13183.59	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	14656.50
63733.62	अन्य पूंजीगत परिव्यय	73796.16
<b>21742.39</b>	<b>कर्ज तथा अग्रिम</b>	<b>27088.10</b>
17359.84	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	21917.11
4353.52	अन्य विकास कर्ज	5142.12
29.03	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.87

(₹ करोड़ में)		
31.03.2012 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2013 की स्थिति में
11.00	अग्रिम	12.49
--	प्रेषण शेष	--
7775.88	रोकड़-	7074.81
2.61	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	-
692.55	रिजर्व बैंक में जमा	(-)262.75 <sup>5</sup>
3.29	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	133.05
6680.13	रोकड़ शेष निवेश	6806.45
397.30	आरक्षित निधि निवेश	398.06
-23246.16 <sup>6</sup>	सरकारी लेखाओं में घाटा-	-30693.20
-9910.36	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-7458.75
1.05	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	-2.14
2.68	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	14.89
-1.11	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-1.04
100.00	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-13438.42	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-23246.16
83200.32	योग	91934.86

<sup>5</sup> भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 262.75 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 280.18 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2013 के लेखाओं के बन्द होने पर ₹ 17.43 करोड़ रुपये (नामे) का अन्तर था। मई 2013 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त ₹ 18.36 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखाओं में गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

<sup>6</sup> वित्त लेखे के विवरण क्र. 1 में आंकड़ों से अंतर उचंचत एवं विविध शेषों में ₹ 0.01 करोड़ तथा प्रेषण शेष में ₹ 0.01 करोड़ को पूर्णांकित करने के कारण है।

परिशिष्ट - 1.6

योजनाओं का विवरण जिनमें जेण्डर बजट 2012-13 में निर्धारित प्रतिशत से कम व्यय था

(संदर्भ: कण्डिका 1.1.4; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

योजना	परिव्यय	व्यय	प्रतिशत	परिव्यय के अप्रयुक्त रहने के कारण
<b>श्रेणी-1</b>				
घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केंद्र (उषा किरण)	2.20	0.94	43	निराश्रित भवन एवं सलाह केंद्रों के प्रचालन के लिए अनुदान प्रस्ताव की प्राप्ति न होना
महिला कल्याण कोष के अंतर्गत योजनाएं	0.75	0.39	52	8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन न होना
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	21.98	15.25	69	हितग्राहियों की अनुपलब्धता
<b>श्रेणी-2</b>				
अटल बाल आरोग्य मिशन	25.28	8.91	35	जिलों द्वारा कार्य आयोजना का प्रस्तुत नहीं किया जाना
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	100.00	निरंक	निरंक	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विलंब से प्राप्त निधियां
संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण	0.50	निरंक	निरंक	सक्षम वित्तीय समिति से संस्वीकृति प्राप्त न होना
समेकित बाल संरक्षण योजना	30.05	14.63	49	केंद्रीय दान का प्राप्त न होना
महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव	5.00	1.49	30	जिलों द्वारा निधियों का आहरण न करना
परिवीक्षा इकाई	1.56	0.45	29	पद रिक्तता
नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	50.00	निरंक	निरंक	निविदा प्रक्रिया पूर्ण ना होना

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट - 1.7  
वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण  
(संदर्भ: कंडिका 1.6.4; पृष्ठ 28)

(₹ करोड़ में)

स.क्र	विभाग	विवरण एवं लेखा शीर्ष	2011-12			2012-13		
			आयोजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग	आयोजनेतर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशु पालन	2403-पशु पालन	--	4.72	4.72	--	6.75	6.75
2	आयुष	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	--	--	--	0.02	--	0.02
3	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	--	--	--	0.54	0.54
4	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2230-श्रम एवं रोजगार	1.84	--	1.84	2.06	--	2.06
5	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	35.02	35.02	--	40.10	40.10
6	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2852-उद्योग	0.08	113.94	114.02	0.31	102.26	102.57
7	सहकारिता	2425-सहकारिता	--	240.34	240.34	--	250.82	250.82
8	संस्कृति	2205-कला एवं संस्कृति	--	--	--	--	0.02	0.02
9	ऊर्जा	2801-बिजली	1344.45	207.00	1551.45	2440.90	232.00	2672.90
10	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-फसल कृषि कर्म	3.73	401.21	404.94	--	275.75	275.75
11	वित्त	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	25.38	25.38	--	--	--
12	मत्स्य पालन	2405-मत्स्य पालन	--	--	--	0.10	5.31	5.41
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	40.00	--	40.00	1470.22	22.80	1493.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	वन	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.06	--	0.06	0.06	--	0.06
15	सामान्य प्रशासन	2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	0.24	--	0.24	0.26	--	0.26
16	सामान्य प्रशासन	2013-मंत्री परिषद	52.91	--	52.91	60.73	--	60.73
17	सामान्य प्रशासन	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.80	--	1.80	1.89	--	1.89
18	उच्च शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	1.01	1.01	--	4.54	4.54
19	गृह	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.80	--	0.80	--	--	--
20	गृह	2055-पुलिस	0.60	--	0.60	0.60	--	0.60
21	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-फसल कृषि कर्म	--	69.75	69.75	--	21.71	21.71
22	सूचना प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	--	--	--	10.98	10.98
23	जन शक्ति नियोजन	2203-तकनीकी शिक्षा	0.50	3.29	3.79	--	5.19	5.19
24	जन शक्ति नियोजन	2230-श्रम एवं रोजगार	--	0.15	0.15	--	0.44	0.44
25	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	--	6.01	6.01	--	16.15	16.15
26	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	18.34	--	18.34	18.47	--	18.47
27	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	65.00	--	65.00	77.87	--	77.87
28	जनसम्पर्क	2220-सूचना तथा प्रचार	0.35	--	0.35	1.00	--	1.00
29	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.03	--	0.03	59.50	--	59.50
30	राजस्व	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	12.81	--	12.81	14.00	--	14.00
31	ग्रामीण विकास	2216-आवास	--	--	--	--	71.49	71.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	अनुसूचित जनजाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	39.52	39.52	--	--	--
33	अनुसूचित जनजाति कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	3.30	3.30
34	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	36.99	36.99	--	--	--
35	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	--	--	--	17.33	17.33
36	स्कूल शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	172.52	172.52	--	283.39	283.39
37	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	--	--	--	7.95	7.95
38	सामाजिक न्याय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	--	--	--	20.29	20.29
39	सामाजिक न्याय	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	0.47	0.47	--	78.96	78.96
40	खेल और युवक सेवाएं	2204-खेल तथा युवा सेवाएं	--	--	--	0.22	25.59	25.81
41	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2217-शहरी विकास	--	14.00	14.00	--	10.10	10.10
42	ग्रामोद्योग	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	11.17	11.17	--	20.24	20.24
43	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	0.25	0.25	--	0.10	0.10
44	महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	--	15.10	15.10
<b>योग</b>			<b>1543.54</b>	<b>1382.73</b>	<b>2926.27</b>	<b>4148.21</b>	<b>1549.20</b>	<b>5697.41</b>

**परिशिष्ट-1.8**

**राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण  
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 30)**

स.क्र.	कार्यों के नाम
1.	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2.	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3.	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4.	सड़कें और पुल
5.	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6.	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9.	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10.	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11.	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12.	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14.	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15.	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16.	जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17.	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18.	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

**परिशिष्ट - 1.9**  
**भाग क**  
**अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया-**  
**जल संसाधन विभाग**  
**(संदर्भ: कण्डिका 1.8.1; पृष्ठ 37)**

(₹ करोड़ में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट लागत (कॉलम 4)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 5)	व्यय/लागत आधिक्य (कॉलम 5-कॉलम 4)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2013)
1	2	3	4	5	6	7
जल संसाधन डिवीज़न, नरसिंहपुर	1	जरखेड़ा टैंक	209.15	466.23	257.08	348.45
	2	नारायणपुरा टैंक	189.00	408.16	219.16	271.46
एस.ए.एस. डिवीज़न, विदिशा	1	बर्से माइनर स्कीम	8.13	17.40	9.27	8.55
डब्ल्यू आर डी ग्वालियर	1	पारसेन टैंक	5.43	10.00	4.57	7.79
	2	सिंध रमोवा	5.96	19.52	13.56	15.23
	3	अपर काकेटो प्रोजेक्ट	183.07	254.37	71.30	127.72
	4	सिंध फेज 1	12.86	56.43	43.57	77.71
डब्ल्यू आर डिवीज़न रीवा	1	नरवर टैंक	2.02	2.68	0.66	0.00
	2	कडुआवन टैंक	3.83	6.10	2.27	3.81
	3	पटनारी टैंक	2.17	3.41	1.24	1.89
	4	जुड़ा टैंक	3.74	5.91	2.17	4.55
महन कैनल डिवीज़न सीधी	1	महन परियोजना	140.86	486.96	346.10	418.56
डब्ल्यू आर डिवीज़न शाजापुर	1	पिलियाखल टैंक	12.83	25.00	12.17	21.06
	2	खाम टैंक	2.40	4.35	1.95	3.33
कुटनी डैम डिवीज़न खजवा राजनगर जिला छतरपुर	1	कुटनी फीडर रिसर्वर (बरियारपुर लेफ्ट कैनल प्रोजेक्ट इकाई-1)	190.86	545.90	355.04	170.47
	2	सिंधपुर बैरेज परियोजना (मध्यम)	94.38	260.63	166.25	133.76
हरसी हाई लेवल कैनल डिवीज़न डबरा	1	सिंध परियोजना फेज-II	78.13	620.42	542.29	151.89
गांधीसागर डैम डिवीज़न	1	गोवर्धनपुरा टैंक	1.58	2.45	0.87	1.00
	2	राजपुरिया एल आई एस	1.53	6.62	5.09	1.56
डब्ल्यू आर डिवीज़न बड़वानी	1	बड़गांव टैंक	7.25	9.13	1.88	9.52
डब्ल्यू आर डिवीज़न नरसिंहपुर	1	अलोड टैंक	2.73	8.00	5.27	4.30
	2	दोभ टैंक	1.99	3.82	1.83	1.38
	3	गोदरवाराखेड़ा टैंक	2.09	4.64	2.55	1.27
हिरन डिवीज़न जबलपुर	1	दुंगरगावा टैंक	2.03	3.81	1.78	2.47
<b>योग</b>	<b>24</b>		<b>1164.02</b>	<b>3231.94</b>	<b>2067.92</b>	<b>1787.73</b>

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट - 1.9

भाग ख (जारी)

अपूर्ण परियोजना का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-

जल संसाधन विभाग

(संदर्भ: कण्डिका 1.8.1; पृष्ठ 37)

(₹ लाख में)

विभाग	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य	मार्च 2013 की स्थिति में संचयी वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
कार्यपालन यंत्री, कोलार कैनल डिवीजन नशरुल्लागंज	1	मरदनपुर लिफ्ट सिंचाई योजना	16.28	--	0.00	11.40
	2	एलएमबीसी कोलार परियोजना के कैनल का सुदृढीकरण	8.15	--	0.00	7.24
जल संसाधन विभाग, डिवीजन सीवा	1	शंकरपुर टैंक	3.80	--	0.00	2.75
	2	पपोरा वीयर स्टॉप डैम	3.79	--	0.00	0.88
जल संसाधन विभाग, डिवीजन उज्जैन	1	पेंटिसा टैंक	672.26	--	0.00	487.59
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिवीजन II बेतूल	1	गोधना टैंक	13.02	--	0.00	9.99
	2	बाकुड़ टैंक	16.35	--	0.00	14.42
	3	मारु टैंक	8.49	--	0.00	7.43
	4	बटकी टैंक	1.83	--	0.00	0.85
	5	कौड़ी टैंक	5.27	--	0.00	3.73
	6	चिल्कापुर टैंक	5.09	--	0.00	3.14
	7	जामझीरी टैंक	2.35	--	0.00	0.83
	8	कुआड़िया टैंक	5.19	--	0.00	3.06
	9	सलिवाड़ा टैंक	6.41	--	0.00	3.05
जल संसाधन विभाग, खंडवा	1	अरदाला टैंक	9.19	--	0.00	5.17
	2	नवली टैंक	9.54	--	0.00	7.04
	3	इतवामामाहदोह टैंक	2.66	--	0.00	2.21
	4	मेधापानी टैंक	4.30	--	0.00	3.50
जल संसाधन विभाग, बड़वानी	1	अंबाफलिया टैंक	2.49	--	0.00	1.43
जल संसाधन विभाग, नरसिंहपुर	1	नीलकूंड घाट एफपीएस	1.90	--	0.00	1.10
जल संसाधन विभाग, डिवीजन नोगांव	1	बक्सवाहा टैंक	3.78	--	0.00	2.59
	2	खिरीया बुजुर्ग टैंक	8.02	--	0.00	6.71
	3	भेल्दा टैंक	3.77	--	0.00	2.58
	4	गोंछी टैंक	4.07	--	0.00	2.43
	5	तेंदुआ टैंक	3.20	--	0.00	3.96
<b>योग</b>	<b>25</b>		<b>821.20</b>	<b>--</b>	<b>0.00</b>	<b>595.08</b>

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

कुल प्रारंभिक लागत (24+ 25+06) 55 परियोजनाओं = (1164.02 + 821.20 + 19.51) = 2004.73

31.03.2013 तक (24+ 25+06) 55 परियोजनाओं का कुल संचयी वास्तविक व्यय = (1787.73 + 595.08 + 29.72) = 2412.53

## परिशिष्ट - 1.9

## भाग ग (समाप्त)

अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग  
(संदर्भ: कण्डिका 1.8.1; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

डिविजन/ जोन	सरल क्रमांक	अपूर्ण परियोजनाओं के नाम	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य (कॉलम 7- कॉलम 4)	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2013)
1	2	3	4	5	6	7
जल संसाधन विभाग, डिवीजन नोगांव	1	कुशमार टैंक	2.24	--	2.01	4.25
	2	डिडोनिया टैंक	1.86	--	1.12	2.98
	3	रजिया टैंक	2.82	--	3.41	6.23
	4	पाली टैंक	2.66	--	0.44	3.10
	5	ममोन टैंक	5.75	--	2.90	8.65
	6	बेनीसागर डायवर्सन कैनाल	4.18	--	0.33	4.51
योग			19.51		10.21	29.72

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी)

परिशिष्ट - 1.10

विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की सितंबर 2013 तक की स्थिति

(संदर्भ: कण्डिका 1.8.3; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		आयोजना/पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1.	पशुपालन	2	80.00	2	80.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी	1	130.00	1	130.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5	838.58	3	621.00	निरंक	निरंक	2	217.58	निरंक	निरंक
4.	उर्जा	4	552.72	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	3	522.72	1	30.00
5.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	138.50	निरंक	निरंक
6.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1	300.00	1	300.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7.	वन	3	147.68	1	130.00	निरंक	निरंक	2	17.68	निरंक	निरंक
8.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	3	174.75	निरंक	निरंक	3	174.75	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	आवास एवं पर्यावरण	7	2133.13	5	2131.13	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2	2.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी	3	263.00	3	263.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	67.00
12.	लोक निर्माण कार्य	147	17374.10	निरंक	निरंक	17	1895.94	97	10382.65	33	5095.51
13.	स्कूल शिक्षा	2	496.20	2	496.20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	खेल और युवक कल्याण	1	900.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	900.00	निरंक	निरंक
15.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2	155.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2	155.00	निरंक	निरंक
16.	पर्यटन	3	35.00	1	15	2	20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	परिवहन	1	1094.00	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	1094.00	निरंक	निरंक
18.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	22	846.56	11	393.05	2	24.9	6	281.61	3	147
	<b>योग</b>	<b>209</b>	<b>25726.22</b>	<b>30</b>	<b>4559.38</b>	<b>24</b>	<b>2115.59</b>	<b>115</b>	<b>13709.74</b>	<b>40</b>	<b>5341.51</b>

(स्रोत: आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

## परिशिष्ट 1.11

(संदर्भ: कण्डिका 1.12.4 एवं 1.12.5; पृष्ठ 51, 52)

क: खजाना बिलों में निवेश में उपलब्ध नकदी शेष की तुलना में लिए गए बाजार कर्जों का वर्षवार एवं दिनांकवार विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	लिए गए बाजार कर्ज की राशि	लिए गए बाजार कर्ज का दिनांक (नीलामी)	उसी दिनांक को खजाना बिलों में उपलब्ध राशि	15 दिन पहले से खजाना बिलों में उपलब्ध न्यूनतम राशि	15 दिन बाद में खजाना बिलों में उपलब्ध न्यूनतम राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	2008-09	900	6.1.2009	1647	1659	1719
2		885	22.1.2009	1833	1646	2518
3		1075	27.2.2009	2591	2658	2291
4		1010.25	17.3.2009	2884	2291	2654
	<b>योग</b>	<b>3870.25</b>				
5	2009-10	1560	8.9.2009	2343	2568	2964
6		1560	8.12.2009	2513	1937	3904
7		1553	5.1.2010	3646	3762	4126
8		1148	9.3.2010	4436	4427	5571
	<b>योग</b>	<b>5821</b>				
9	2010-11	1200	7.12.2010	4848	4409	6407
10		1000	4.1.2011	5788	5615	5635
11		700	1.3.2011	7208	5794	7140
12		1000	15.3.2011	8411	5794	9226
	<b>योग</b>	<b>3900</b>				
13	2011-12	1000	18.10.2011	4594	4573	4510
14		1500	24.1.2012	4745	4658	6031
15		1500	6.3.2012	7444	6625	8379
	<b>योग</b>	<b>4000</b>				
16	2012-13	1000	7.8.2012	4949	4037	5941
17		1000	22.1.2013	3518	3249	4412
18		1000	18.2.2013	4643	4447	4643
19		1500	19.3.2013	7096	5573	6819
	<b>योग</b>	<b>4500</b>				

(स्रोत: दैनिक रोकड़ शेष प्रतिवेदन तथा वित्त विभाग से संग्रहित जानकारी)

ख: 14 दिनी खजाना बिल में निवेश के अंतर्गत न्यूनतम नकद शेष जो वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किए गए

(₹ करोड़ में)

वर्ष	14 दिनी खजाना बिलों में निवेश के अंतर्गत उपलब्ध न्यूनतम शेष जिसका वर्ष भर उपयोग नहीं किया गया	14 दिनी के खजाना बिल में प्राप्त ब्याज दर	लिए गए बाजार कर्ज पर भुगतान किया गया भारित औसत ब्याज दर
1	2	3	4
2009-10	1936	5%	8.36%
2010-11	3302	5%	8.41%
2011-12	4510	5%	8.91%
2012-13	3249	5%	8.69%

(स्रोत: दैनिक रोकड़ शेष प्रतिवेदन तथा वित्त विभाग से संग्रहित जानकारी)

ग: प्रत्येक तिमाहीवार अग्रिम उधार कैलेंडर में प्रस्तावित उधारियों की तुलना में वास्तविक बाजार उधारियां

(₹ करोड़ में)

तिमाहीवार विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
1	2		3		4		5		6	
	अग्रिम उधार कैलेंडर के अनुसार	वास्तविक								
कुल लिए गए बाजार कर्ज	--	4495	--	5821	--	3900	--	4000	--	4500
प्रथम तिमाही	उपलब्ध नहीं	निरंक	निरंक	निरंक	उपलब्ध नहीं	निरंक	उपलब्ध नहीं	निरंक	निरंक	निरंक
द्वितीय तिमाही	उपलब्ध नहीं	निरंक	निरंक	1560	उपलब्ध नहीं	निरंक	उपलब्ध नहीं	निरंक	2000	1000
तृतीय तिमाही	उपलब्ध नहीं	625	2701	1560	उपलब्ध नहीं	1200	3000	1000	1500	निरंक
चतुर्थ तिमाही	1790	3870	2701	2701	उपलब्ध नहीं	2700	2404	3000	3000	3500
लिए गए कुल बाजार कर्ज की तुलना में अंतिम तिमाही में लिए बाजार कर्ज की प्रतिशतता	--	86	--	46	--	69	--	75	--	78

(स्रोत: वित्त लेखे एवं वित्त विभाग के दस्तावेज)

## परिशिष्ट - 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र  
(संदर्भ: कांडिका 2.3.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	7487.10	3903.17	52.13
2	03	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	96.38	26.73	27.73
3	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	7290.05	2226.65	30.54
4	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	24.78	12.93	52.18
5	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1438.86	1374.53	95.53
6	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	52.22	11.08	21.22
7	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	57.17	12.25	21.43
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	122.90	62.32	50.71
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)	506.20	105.23	20.79
10	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	161.11	61.21	37.99
11	26	संस्कृति (राजस्व दत्तमत)	138.31	54.63	39.50
12	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	26.26	13.06	49.73
13	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	685.11	192.19	28.05
14	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	78.57	21.99	27.99
15	31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	280.03	211.54	75.54
16	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	63.38	13.91	21.95
17	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	344.14	136.12	39.55
18	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल (पूँजीगत दत्तमत)	536.48	185.20	34.52
19	43	खेल और युवक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	60.67	20.49	33.77
20	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	239.40	58.75	24.54

1	2	3	4	5	6
21	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	37.48	15.39	41.06
22	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	119.75	117.49	98.11
23	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	159.46	107.00	67.10
24	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	704.50	249.71	35.44
25	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	1714.58	402.54	23.48
26	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	138.85	45.79	32.98
27	70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	13.36	12.96	97.01
<b>योग</b>			<b>22577.10</b>	<b>9654.86</b>	<b>42.76</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट - 2.2 (क)

तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें हुई  
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
<b>06-वित्त (राजस्व दत्तमत)</b>				
1	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	70.78	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
2	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	अन्य व्यय	1200.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
3	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-लघुशीर्ष-101-अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	एकीकृत मध्य प्रदेश	526.58	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
4	104-उपदान	एकीकृत मध्य प्रदेश	308.38	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
5	105-परिवार पेंशन	एकीकृत मध्य प्रदेश	155.41	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
6	115-छुट्टी नकदीकरण हितलाभ	एकीकृत मध्य प्रदेश	82.40	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>29-विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)</b>				
7	2014-न्याय प्रशासन	सामान्य स्थापना	84.71	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
8	2014-न्याय प्रशासन	न्याय व्यवस्था में सुधार (13वाँ वित्त आयोग)	50.60	बचत अंशतः पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती अधिरोपित किए जाने, परियोजना प्रतिवेदन तैयार न होने, गैप विश्लेषण "कोर्ट्स ऑफ टूमरो" योजना एवं ई-कोर्ट्स परियोजना (₹ एक करोड़) के कारण हुई। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
9	2015-निर्वाचन	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	23.65	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)</b>				
10	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-राज्य आयोजना (सामान्य)	आयोजनागत योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	75.10	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
11	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)	यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
12	केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य	छठवीं आर्थिक गणना	38.91	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>38-आयुष (राजस्व दत्तमत)</b>				
13	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-लघुशीर्ष-101	आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय	97.10	बचत अंशतः पद रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण हुई (₹ चार करोड़)। शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)</b>				
14	2700-मुख्य सिंचाई-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)	अवशेष निपटारा	99.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)

1	2	3	4	5
<b>06-वित्त (पूँजीगत दत्तमत)</b>				
15	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
16	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	255.75	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
17	6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	अधोसंरचना विकास के लिए ऋण	800.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)</b>				
18	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-शहरी जलपूर्ति-केंद्र योजना सामान्य	नई प्रयोगशाला का निर्माण	13.10	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
19	102-ग्रामीण जलपूर्ति-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	37.44	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
20	800-अन्य व्यय-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य	भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	40.95	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
21	800-अन्य व्यय-केंद्र क्षेत्रीय योजना सामान्य	सहायक गतिविधियां	16.66	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>55-महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)</b>				
22	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष 102-नाबार्ड (सामान्य)	नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	50.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
23	केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)	आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण	64.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)</b>				
24	4401-फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय-102-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)	भण्डार एवं विपणन	23.70	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
25	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)	भण्डार एवं विपणन	37.80	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
26	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-001-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)	अवशेष निपटारा	400.00	बचतें अंशतः जल संसाधन विभाग के बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने तथा कोई भी योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई (₹ 220.59 करोड़)
<b>64-अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)</b>				
27	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	142.39	बचत देयकों की परीक्षा एवं सत्यापन में देरी होने के कारण राशि का समायोजन नहीं होने के कारण हुई
28	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	29.14	बजट बनाने में ऋण के स्थान पर अंश पूंजी में प्रावधान किया जाना

1	2	3	4	5
29	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	93.59	देयकों की जांच एवं सत्यापन में देरी होने से राशि का समायोजन नहीं होना
30	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-केंद्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)	स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वाँ वित्त आयोग)	27.32	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
31	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)	म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम	49.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
32	नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)	ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	61.89	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
<b>लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)</b>				
33	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)
34	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ख)

अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें व्यय प्रावधान से ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र  
(संदर्भ: कण्डिका 2.3.3; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बैंक टू बैंक ऋण	1.35	111.64	110.29	8169.63
2	06-वित्त	2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश	168.00	308.32	140.32	83.52
3	06-वित्त	2071-01-115-9998-मध्य प्रदेश	42.56	88.25	45.69	107.35
4	06-वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75.00	122.72	47.72	63.63
5	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6749-भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन, सर्विस चार्ज	41.97	74.99	33.02	78.67
6	12-ऊर्जा	6801-190-7161-विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण	200.00	250.00	50.00	25.00
7	14-पशुपालन	2403-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	41.15	52.37	11.22	27.27
8	15-अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-789-198-0703-केंद्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना-5198-इंदिरा आवास योजना	28.96	42.53	13.57	46.86
9	23-जल संसाधन विभाग	4700-13-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	145.19	177.29	32.10	22.11
10	23-जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	0.01	29.69	29.68	296800

1	2	3	4	5	6	7
11	23-जल संसाधन विभाग	4700-24-800-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	13.39	24.50	11.11	82.97
12	23-जल संसाधन विभाग	4701-01-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6619-ठिकारिया मध्यम सिंचाई योजना	30.00	69.78	39.78	132.60
13	23-जल संसाधन विभाग	4701-60-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	40.50	91.48	50.98	125.88
14	23-जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	5.65	64.74	59.09	1045.84
15	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	6.50	41.10	34.60	532.31
16	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	30.00	76.83	46.83	156.10
17	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-337-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 0948-केंद्रीय सड़क निधि	202.42	244.76	42.34	20.92
18	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	6.40	76.67	70.27	1097.97
19	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6738-एन्यूटी	5.00	40.56	35.56	711.20
20	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	4705-212-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण	14.90	28.81	13.91	93.35
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन विभाग 2406-02-796-110- 0702-केंद्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3730-वन्यजीव पर्यावास समन्वित विकास	27.00	47.91	20.91	77.44

1	2	3	4	5	6	7
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-796-205-1202- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	सांकेतिक	36.19	36.19	100
23	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-796-110- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	128.71	156.36	27.65	21.48
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-43-796-800- 1502-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	60.00	97.82	37.82	63.03
25	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-45-796-800- 1502-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-9091- ओंकारेश्वर परियोजना	149.81	252.31	102.50	68.42
26	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-80-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	0.50	66.08	65.58	13116.00
27	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803- लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	91.67	166.37	74.70	81.49
28	48-नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	162.11	277.39	115.28	71.11

1	2	3	4	5	6	7
29	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2215-02-796-198-0702-केंद्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5206- समग्र स्वच्छता अभियान	18.56	29.22	10.66	57.43
30	55-महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	100.00	141.08	41.08	41.08
31	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	40.00	262.95	222.95	557.37
32	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4215-01-102-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	नगण्य	39.25	39.25	100
33	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 6074-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	नगण्य	65.04	65.04	100
34	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनाएं	नगण्य	88.80	88.80	100
35	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-205-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) -6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	सांकेतिक	29.14	29.14	100
36	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5724- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	52.40	75.40	23.00	43.89

1	2	3	4	5	6	7
37	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-04-789-800- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	47.78	66.59	18.81	39.37
38	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-80-789-800- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5701- बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	1.83	42.86	41.03	2242.08
39	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	12.86	27.86	15.00	116.64
40	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 4215-01-789-102- 0703-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	50.75	64.26	13.51	26.62
41	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2216-03-198-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5198-इंदिरा आवास योजना	39.19	57.49	18.30	46.69
42	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2853-02-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	200.00	304.29	104.29	52.14
43	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6221-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स	55.49	69.49	14.00	25.23
<b>योग</b>			<b>2337.61</b>	<b>4481.18</b>	<b>2143.57</b>	<b>91.70</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.2 (ग)

योजनाओं के प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.4; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7105-8.00% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2012	10.33	निरंक	10.33	100
2	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7191-9.05% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	90.50	निरंक	90.50	100
3	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7245-8.92% मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	44.60	निरंक	44.60	100
4	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-1217-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिए गए ऋणों पर ब्याज	16.00	निरंक	16.00	100
5	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	30.00	निरंक	30.00	100
6	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-103-0925-केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	12.00	निरंक	12.00	100
7	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	25.00	निरंक	25.00	100
8	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	60.00	निरंक	60.00	100
9	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
10	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
11	03	पुलिस	2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	70.00	निरंक	70.00	100
12	03	पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25.00	निरंक	25.00	100
13	06	वित्त	2052-091-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-7315-शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण	10.00	निरंक	10.00	100
14	06	वित्त	2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0224-अन्य व्यय	1200.00	निरंक	1200.00	100
15	06	वित्त	2701-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	12.00	निरंक	12.00	100
16	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	निरंक	300.00	100
17	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100
18	06	वित्त	6801-800-6443-अधोसंरचना विकास के लिए ऋण	800.00	निरंक	800.00	100
19	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केंद्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)-5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15.00	निरंक	15.00	100
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6271-जयप्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण	10.00	निरंक	10.00	100
21	23	जल संसाधन विभाग	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निर्देशन और प्रशासन	37.80	निरंक	37.80	100

1	2	3	4	5	6	7	8
22	23	जल संसाधन विभाग	4701-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	23.96	निरंक	23.96	100
23	23	जल संसाधन विभाग	4701-66-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	20.00	निरंक	20.00	100
24	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निर्देशन और प्रशासन	29.00	निरंक	29.00	100
25	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	34.60	निरंक	34.60	100
26	26	संस्कृति	2205-800-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6464-स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य	48.58	निरंक	48.58	100
27	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6577-आयोजनागत योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	75.10	निरंक	75.10	100
28	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	निरंक	49.94	100
29	40	जल संसाधन विभाग कमान क्षेत्र विकास से संबंधित व्यय	4705-207-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2304-निर्देशन और प्रशासन	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
30	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13- ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	179.04	निरंक	179.04	100
31	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13- ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	36.19	निरंक	36.19	100
32	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) -7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	123.82	निरंक	123.82	100
33	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7193- परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	14.20	निरंक	14.20	100
34	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7201- अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	49.75	निरंक	49.75	100

1	2	3	4	5	6	7	8
35	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 4210-04-796-112- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	14.90	निरंक	14.90	100
36	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	12.00	निरंक	12.00	100
37	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235-02-796-102- 1302-केंद्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 5360- आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	20.00	निरंक	20.00	100
38	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन	35.40	निरंक	35.40	100
39	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1)	25.00	निरंक	25.00	100
40	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6403-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-1 का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान	27.00	निरंक	27.00	100
41	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1401- नाबार्ड (सामान्य)- 7046-नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	50.00	निरंक	50.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
42	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-5360-आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	64.00	निरंक	64.00	100
43	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100
44	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	99.00	निरंक	99.00	100
45	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	400.00	निरंक	400.00	100
46	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	10.80	निरंक	10.80	100
47	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	40.25	निरंक	40.25	100
48	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	142.39	निरंक	142.39	100

1	2	3	4	5	6	7	8
49	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190- 1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	29.14	निरंक	29.14	100
50	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190- 1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	93.59	निरंक	93.59	100
51	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	50-महिला एवं बाल विकास विभाग 4235- 02-789-102-1303- केंद्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5360- आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण	16.00	निरंक	16.00	100
52	70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2203-112-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7870-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम- इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान	12.48	निरंक	12.48	100
53	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2853-02-198-6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	111.53	निरंक	111.53	100
54	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल, योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
55	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
56	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	126.61	निरंक	126.61	100
57	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	28.80	निरंक	28.80	100
<b>योग</b>				<b>8916.30</b>		<b>8916.30</b>	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है  
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	अनुदानों/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
1	2	3	4
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 7,20,24, 27,58, 67 पूंजीगत (दत्तमत): 20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, 31,67	302.79
1998-99	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62	0.10
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 14,27,44,50,59 पूंजीगत (दत्तमत): 3,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित): 6,23,24,30 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21	1584.94
2000-01	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 2,70 पूंजीगत (दत्तमत) : 88 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07
2002-03	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूंजीगत(प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	424.79
2003-04	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 68,84 पूंजीगत (दत्तमत): 35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	2.54
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत): 6,19,30,59,66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	83.66
2005-06	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत (दत्तमत) : 6,39 पूंजीगत(प्रभारित) : 21,45	37.58
2006-07	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत(प्रभारित) : 24	35.99
2008-09	02 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 62 पूंजीगत (दत्तमत) : 43 राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	5.80
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत(प्रभारित): 24	12.62

1	2	3	4
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) : 33 पूंजीगत (दत्तमत) : 15,52,74 राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत (प्रभारित): 23	135.10
योग	61अनुदान एवं 32 विनियोग		3014.94

## परिशिष्ट 2.4

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.7; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
<b>क-राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	01-सामान्य प्रशासन और लोक सेवा प्रबंधन	241.61	235.01	6.60	34.45
2	03-पुलिस	2899.31	2871.78	27.53	383.92
3	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	20.28	18.01	2.27	1.03
4	06-वित्त	7288.95	5063.40	2225.55	1.10
5	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	901.12	743.21	157.91	2.58
6	10-वन	1404.65	1343.04	61.61	43.23
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	861.67	827.88	33.79	137.71
8	14-पशुपालन	542.83	508.54	34.29	49.96
9	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	1137.43	1031.64	105.79	45.90
10	16-मछली पालन	53.70	44.92	8.78	3.47
11	17-सहकारिता	390.54	353.97	36.57	7.42
12	18-श्रम	113.28	104.96	8.32	14.18
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2145.14	2041.38	103.76	136.04
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	392.65	345.04	47.61	27.35
15	26-संस्कृति	108.29	83.68	24.61	30.02
16	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4702.85	4068.00	634.85	96.43
17	28-राज्य विधान मंडल	49.22	48.18	1.04	7.05
18	29-विधि और विधायी कार्य	638.85	492.92	145.93	46.27
19	30-ग्रामीण विकास	564.52	488.98	75.54	2.83
20	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	240.94	68.49	172.45	39.09
21	34-सामाजिक न्याय	181.63	156.92	24.71	12.05
22	36-परिवहन	60.09	49.47	10.62	3.29
23	38-आयुष	341.84	208.02	133.82	2.30
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2717.96	2573.96	144.00	275.72

1	2	3	4	5	6
25	43-खेल और युवक कल्याण	48.01	40.18	7.83	12.66
26	44-उच्च शिक्षा	958.29	855.94	102.35	20.54
27	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	229.25	180.66	48.59	10.15
28	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1710.41	1651.42	58.99	58.01
29	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	99.00	52.46	46.54	60.46
30	63-अल्पसंख्यक कल्याण	43.60	43.11	0.49	7.43
31	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1865.98	1732.57	133.41	175.54
32	65-विमानन	18.51	15.80	2.71	3.75
33	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1230.75	1182.64	48.11	216.71
<b>योग (क)</b>		<b>34203.15</b>	<b>29526.18</b>	<b>4676.97</b>	<b>1968.64</b>
<b>ख-पूंजीगत (दत्तमत)</b>					
34	03-पुलिस	72.85	69.65	3.20	23.53
35	06-वित्त	1433.80	64.33	1369.47	5.05
36	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	479.88	400.97	78.91	26.32
37	55-महिला एवं बाल विकास विभाग	69.75	2.26	67.49	50.00
38	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1499.76	1312.04	187.72	214.82
<b>योग (ख)</b>		<b>3556.04</b>	<b>1849.25</b>	<b>1706.79</b>	<b>319.72</b>
<b>ग-राजस्व (प्रभारित)</b>					
39	आई.पी.-ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	6275.08	5563.74	711.34	178.84
40	06-वित्त	14.78	11.85	2.93	10.00
41	29-विधि और विधायी कार्य	76.94	56.58	20.36	1.63
<b>योग (ग)</b>		<b>6366.80</b>	<b>5632.17</b>	<b>734.63</b>	<b>190.47</b>
<b>घ-पूंजीगत (प्रभारित)</b>					
42	पी.डी.-लोक ऋण	7482.73	3583.94	3898.79	4.37
<b>योग (घ)</b>		<b>7482.73</b>	<b>3583.94</b>	<b>3898.79</b>	<b>4.37</b>
<b>योग (क+ख+ग+घ)</b>		<b>51608.72</b>	<b>40591.54</b>	<b>11017.18</b>	<b>2483.20</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.5

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.7; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
<b>क-राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	44.50	1.64	45.44	0.70
2	05-जेल	171.40	17.40	186.75	2.05
3	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	196.65	32.08	212.54	16.19
4	12-ऊर्जा	2040.23	653.92	2691.49	2.66
5	32-जनसंपर्क	129.78	70.26	193.37	6.67
6	37-पर्यटन	38.72	2.60	40.83	0.49
7	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1058.75	897.79	1892.43	64.11
8	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	19.38	53.02	68.33	4.07
9	55-महिला एवं बाल विकास	2097.95	327.67	2287.58	138.04
10	56-ग्रामोद्योग	103.47	9.42	108.23	4.66
11	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	489.46	80.07	561.08	8.45
12	72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	65.05	4.51	65.82	3.74
13	73-चिकित्सा शिक्षा	291.86	99.11	360.14	30.83
14	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5395.70	476.68	5588.11	284.27
15	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	4096.86	464.16	4227.89	333.13
<b>योग (क)</b>		<b>16239.76</b>	<b>3190.33</b>	<b>18530.03</b>	<b>900.06</b>
<b>ख-पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
16	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	4.80	6.08	9.43	1.45
17	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	422.25	142.66	534.65	30.26
18	12-ऊर्जा	3883.95	1986.97	5245.96	624.96
19	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	5.55	20.71	13.21	13.05
20	37-पर्यटन	79.00	13.49	89.99	2.50
21	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	400.00	304.50	454.79	249.71
22	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	15.25	12.00	21.25	6.00
23	73-चिकित्सा शिक्षा	28.85	2.25	29.40	1.70
<b>योग (ख)</b>		<b>4839.65</b>	<b>2488.66</b>	<b>6398.68</b>	<b>929.63</b>
<b>ग-राजस्व (प्रभारित)</b>					
24	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	19.07	5.38	20.72	3.73
25	03-पुलिस	0.51	0.50	0.53	0.48
<b>योग (ग)</b>		<b>19.58</b>	<b>5.88</b>	<b>21.25</b>	<b>4.21</b>
<b>योग (क+ख+ग)</b>		<b>21098.99</b>	<b>5684.87</b>	<b>24949.96</b>	<b>1833.90</b>

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय-मूल प्रावधान = 24949.96 - 21098.99 = 3850.97

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.8; पृष्ठ 65)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	10	वन	2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान	(+) 4.54	(-) 2.49	54.85
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	(+) 1.00	(-) 3.17	100
3	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	(+) 19.50	(-) 17.51	89.79
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वाँ वित्त आयोग)	(-)10.00	(+)6.84	68.40
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-02-107-1249-प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुसंधान कार्य	(+) 1.88	(-) 2.82	100
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(+)9.74	(-)2.68	27.52
7	23	जल संसाधन	4700-13-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+) 53.60	(-) 23.92	44.63
8	28	राज्य विधान मंडल	2011-02-101-4007-विधायक/मंत्री	(-) 1.59	(+) 3.64	100
9	29	विधि और विधायी कार्य	2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी	(-) 4.06	(+) 1.79	44.09
10	38	आयुष	2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय	(+) 5.69	(-) 12.09	100

1	2	3	4	5	6	7
11	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	(+) 32.34	(-) 24.27	75.05
12	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-25-796-800-1502- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) -3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(+) 2.07	(-) 15.34	100
13	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800-0420- खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	(+) 22.65	(-) 50.64	100
14	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803- लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	(-) 1.00	(+) 75.70	100
15	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-64-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6831-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 16.33	(-) 5.76	35.27
16	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-193-5498-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थानों को सहायता	(+) 4.00	(-) 1.65	41.25
17	61	बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 6068-निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाएं	(+) 23.50	(-) 8.50	36.17
18	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-191-8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिए अनुदान	(-) 28.14	(+) 7.95	28.25
19	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-02-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	(-) 2.34	(+) 8.13	100

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक तथा बचतों का 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.10; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई	समर्पित नहीं की गई राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>					
1	आई.पी.-ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	890.18	0.47	889.71	99.95
2	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	3.67	निरंक	3.67	100
3	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1.48	निरंक	1.48	100
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3.29	0.91	2.38	72.34
5	06-वित्त	2226.65	52.05	2174.60	97.66
6	07-वाणिज्यिक कर	93.65	52.71	40.94	43.71
7	10-वन	104.84	66.49	38.35	36.58
8	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	16.18	निरंक	16.18	100
9	12-ऊर्जा	2.67	1.51	1.16	43.44
10	14-पशुपालन	84.24	निरंक	84.24	100
11	16-मछली पालन	12.25	निरंक	12.25	100
12	18-श्रम	22.50	16.63	5.87	26.09
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	239.81	37.75	202.06	84.26
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	74.96	46.68	28.28	37.73
15	21-आवास एवं पर्यावरण	7.56	0.0001	7.56	100
16	23-जल संसाधन	102.01	15.03	86.98	85.27
17	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	138.27	निरंक	138.27	100
18	26-संस्कृति	54.63	निरंक	54.63	100
19	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	731.28	185.88	545.40	74.58
20	28-राज्य विधान मंडल	8.09	2.12	5.97	73.79
21	29-विधि और विधायी कार्य	192.19	141.24	50.95	26.51
22	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	211.54	136.17	75.37	35.63
23	36-परिवहन	13.91	0.10	13.81	99.28
24	38-आयुष	136.12	निरंक	136.12	100

1	2	3	4	5	6
25	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	64.10	निरंक	64.10	100
26	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	2.67	0.58	2.09	78.28
27	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	8.64	4.29	4.35	50.35
28	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	33.86	14.65	19.21	56.73
29	49-अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	5.09	1.93	3.16	62.08
30	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	58.75	निरंक	58.75	100
31	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	4.07	निरंक	4.07	100
32	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	81.41	निरंक	81.41	100
33	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	107.00	0.0003	107.00	100
34	62-पंचायत	9.91	निरंक	9.91	100
35	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	308.96	232.68	76.28	24.69
36	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	84.44	निरंक	84.44	100
37	69-सूचना प्रौद्योगिकी	4.34	निरंक	4.34	100
38	73-चिकित्सा शिक्षा	30.83	निरंक	30.83	100
39	76-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	4.26	3.18	1.08	25.35
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
40	03-पुलिस	26.73	निरंक	26.73	100
41	06-वित्त	1374.53	निरंक	1374.53	100
42	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	30.26	निरंक	30.26	100
43	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	105.23	58.39	46.84	44.51
44	23-जल संसाधन विभाग	205.68	126.62	79.06	38.44
45	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	13.06	निरंक	13.06	100
46	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3.52	निरंक	3.52	100
47	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	65.18	0.51	64.67	99.22
48	48-नर्मदा घाटी विकास	27.61	18.37	9.24	33.47
49	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50	निरंक	2.50	100
50	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	249.71	68.46	181.25	72.58
51	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	45.79	35.50	10.29	22.47
52	73-चिकित्सा शिक्षा	1.70	निरंक	1.70	100

1	2	3	4	5	6
<b>पूंजीगत (प्रभारित)</b>					
53	पी.डी.-लोक ऋण	3903.17	4.37	3898.80	99.89
54	06-वित्त	4.67	निरंक	4.67	100
<b>योग</b>		<b>12239.64</b>	<b>1325.27</b>	<b>10914.37</b>	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.8

31 मार्च 2013 को ₹ दस करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.10; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	06	2075	43.32	31.23	72.09
2	07	2030	368.70	33.45	9.07
3	07	2039	1212.09	17.75	1.46
4	08	2029	477.93	85.15	17.82
5	08	2053	421.69	56.26	13.34
6	13	2402	67.83	14.70	21.67
7	13	2401	931.53	149.48	16.05
8	17	2425	397.96	43.96	11.05
9	22	2217	363.27	10.35	2.85
10	29	2014	546.35	128.16	23.46
11	29	2015	108.57	33.28	30.65
12	31	3451	98.49	16.13	16.38
13	31	3454	181.53	118.36	65.20
14	33	2202	851.64	27.57	3.24
15	33	2225	254.75	13.75	5.40
16	41	2202	961.41	183.21	19.06
17	41	2225	494.52	20.66	4.18
18	41	2235	293.54	18.65	6.35
19	41	2401	191.49	29.09	15.19
20	41	4235	20.00	20.00	100
21	53	2217	173.60	25.61	14.75
22	55	2235	1618.21	124.89	7.72
23	55	4235	119.75	117.49	98.11
24	61	4401	304.50	61.50	20.20
25	64	2202	439.07	83.98	19.13
26	64	2235	269.49	19.85	7.36
27	64	2401	153.58	35.01	22.80
28	64	4235	16.00	16.00	100
29	74	2202	1801.99	60.30	3.35
30	75	2202	540.92	58.41	10.80
31	75	2217	1148.27	202.07	17.60
32	75	3604	2551.16	20.01	0.78
33	77	2202	1404.12	258.54	18.41
योग			18827.27	2134.85	11.34

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9

व्यय की अधिकता

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.11; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2013 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	5710	13.40	13.13	14.46	92.67	90.80
2	03-पुलिस	6065	21.62	21.01	23.14	93.43	90.79
3	03-पुलिस	6463	31.49	27.66	48.32	65.17	57.24
4	07-वाणिज्यिक कर	6001	85.30	85.30	85.30	100	100
5	07-वाणिज्यिक कर	6002	151.76	151.76	151.76	100	100
6	08-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	6664	15.50	15.50	20.00	77.50	77.50
7	10-वन	3885	116.68	116.68	116.68	100	100
8	10-वन	5109	40.38	30.80	60.80	66.41	50.66
9	10-वन	7240	10.30	10.30	10.30	100	100
10	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5380	60.45	58.99	82.58	73.20	71.43
11	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7140	29.10	29.10	49.10	59.27	59.27
12	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	6673	27.11	23.36	27.73	97.76	84.24
13	14-पशुपालन	6625	11.90	10.97	12.96	91.82	84.64
14	14-पशुपालन	7154	12.06	12.06	12.63	95.49	95.49
15	14-पशुपालन	7155	14.45	14.45	14.45	100	100
16	17-सहकारिता	6965	45.78	45.78	77.60	58.99	58.99
17	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6643	16.00	16.00	25.00	64.00	64.00
18	21-आवास तथा पर्यावरण	2020	45.17	43.55	56.18	80.40	77.52

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-आवास तथा पर्यावरण	6115	12.24	12.24	13.24	92.45	92.45
20	23-जल संसाधन	5583	20.54	18.35	29.00	70.83	63.27
21	23-जल संसाधन	5584	14.22	12.82	22.33	63.68	57.41
22	23-जल संसाधन	5595	50.62	44.74	71.13	71.16	62.90
23	23-जल संसाधन	6598	22.06	22.06	22.20	99.37	99.37
24	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	3115	103.93	102.63	155.29	66.93	66.09
25	25-खनिज संसाधन	6606	1378.00	1378.00	1378.00	100	100
26	26-संस्कृति	4283	11.50	10.61	15.88	72.42	66.81
27	37-पर्यटन	7630	33.82	33.82	43.49	77.76	77.76
28	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	0570	13.28	13.28	13.28	100	100
29	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3229	15.90	15.90	24.00	66.25	66.25
30	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3248	10.09	10.09	10.09	100	100
31	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	6781	106.47	106.47	106.47	100	100
32	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7272	69.08	69.08	90.86	76.03	76.03
33	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3730	31.70	27.11	47.72	66.43	56.81
34	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6484	17.14	17.14	17.14	100	100
35	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	7272	11.29	11.29	11.29	100	100
36	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	9143	33.11	30.07	41.01	80.74	73.32
37	48-नर्मदा धाटी विकास	9091	221.45	215.06	302.87	73.12	71.01

1	2	3	4	5	6	7	8
38	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5198	23.20	21.21	42.32	54.82	50.12
39	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0747	253.47	240.04	264.75	95.74	90.67
40	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	5498	15.49	11.68	20.36	76.08	57.37
41	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	7021	52.14	39.39	52.80	98.75	74.60
42	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6074	56.82	55.72	65.04	87.36	85.67
43	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6078	22.36	22.36	22.36	100	100
44	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	243.00	243.00	243.00	100	100
45	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1400	21.23	21.23	38.69	54.87	54.87
46	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5701	41.03	41.03	42.86	95.73	95.73
47	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	27.86	27.86	27.86	100	100
48	69-सूचना प्रौद्योगिकी	5818	10.42	10.42	10.42	100	100
49	69-सूचना प्रौद्योगिकी	7062	20.00	20.00	20.00	100	100
50	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	4610	405.37	244.74	429.99	94.27	56.92
51	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6086	22.05	22.05	22.05	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
52	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6099	12.27	12.27	12.27	100	100
53	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6226	33.84	22.56	33.84	100	66.67
54	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6244	815.07	555.48	872.39	93.43	63.67
55	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6299	221.80	183.17	304.29	72.89	60.19
56	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5728	16.50	16.50	16.50	100	100
57	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7056	20.52	20.52	23.64	86.80	86.80
58	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6005	121.74	89.03	121.74	100	73.13
59	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6970	17.00	17.00	17.00	100	100
60	पी.डी.-लोक ऋण	6771	129.50	129.50	129.50	100	100
61	पी.डी.-लोक ऋण	7110	247.00	247.00	247.00	100	100
62	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3089	45.24	45.24	45.24	100	100
63	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4033	29.34	29.34	29.34	100	100
64	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5042	1515.89	1515.89	1569.91	96.56	96.56
65	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6587	402.56	402.56	436.22	92.28	92.28

1	2	3	4	5	6	7	8
66	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6622	126.80	82.20	126.80	100	64.83
67	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6804	25.45	25.45	25.45	100	100
68	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6880	48.88	48.88	48.88	100	100
69	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6881	72.96	72.96	72.96	100	100
70	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7108	109.85	109.85	109.85	100	100
<b>योग</b>			<b>8151.54</b>	<b>7523.29</b>	<b>8849.60</b>	<b>92.11</b>	<b>85.01</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.10

निधियों का 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरण दिखाये जाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.12; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखे का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान (मूल+पूरक)	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	2070-003-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य (राज्य आयोजना)	5.00	5.00	5.00
2	03- पुलिस	2055-109-1301-6463-पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वाँ वित्त आयोग)	9.07	8.75	4.18
3	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-1501-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	185.41	186.56	44.26
4	26- संस्कृति	2205-107-0101-4283-संग्रहालय (राज्य आयोजना)	17.43	15.88	10.00
5	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	63.48	47.26	0.97
6	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0702-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	1.14	1.14	1.03
7	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2401-789-800-1502-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	55.90	49.71	1.26
8	47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-105-0701-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	17.62	12.64	11.47
9	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	702.00	657.63	12.06
10	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	5.81	5.56	0.47
11	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-6080-भण्डार एवं विपणन	237.80	200.00	200.00
12	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-6080-भण्डार एवं विपणन	66.70	43.00	43.00

1	2	3	4	5	6
13	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-6074- नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	सांकेतिक	65.04	51.12
14	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0703- 2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	2.43	2.43	2.20
15	64-अनुसूचित जाति उपयोजना (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)	2401-789-800-1503- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	41.90	36.70	1.96
<b>योग</b>			<b>1411.69</b>	<b>1337.30</b>	<b>388.98</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.11

बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए जाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भ: कण्डिका 2.3.14; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5
1	03-पुलिस	4070-800-0101-7188-आपदा प्रबंधन के लिए निर्माण	1.25	निरंक
2	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-800-0101-7138-ए.के.व्ही.एन. सागर में निवेश हेतु ट्रायफेक को अंशपूजी सहायता	1.00	निरंक
3	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-6743-आई. ई.सी. (सूचना एवं प्रसार)	2.45	निरंक
4	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2401-796-105-0102-6669-स्वायल हेल्थ कार्ड	1.20	निरंक
5	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-03-796-103-0102-7199-विशेष कैंडर के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष भत्ता	8.00	निरंक
6	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-06-796-101-0102-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक
7	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-06-796-800-0102-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	14.20	निरंक
8	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2210-06-796-800-0102-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	49.75	निरंक
9	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4210-04-112-0102-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	14.90	निरंक
10	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4210-04-796-112-0102-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक
11	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2225-02-800-0602-7206-बिखरे हुए बी. पी. एल. कृषकों को डीजल/विद्युत पंप का प्रदाय	1.00	निरंक
12	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2235-02-796-105-0102-6688-नशामुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों की स्थापना	1.35	निरंक
13	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2235-60-796-102-0102-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	1.50	निरंक
14	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0101-7141-हार्टिकल्चर हब की स्थापना	6.25	निरंक
15	55-महिला एवं बाल विकास	4235-02-800-1201-6741-मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	2.00	निरंक
16	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2401-789-105-0103-6669-स्वायल हेल्थ कार्ड	1.90	निरंक
17	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-06-101-0103-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक
18	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-06-789-800-0103-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	10.80	निरंक
19	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2210-06-789-800-0103-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	40.25	निरंक

1	2	3	4	5
20	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4210-04-789-112-0103-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	9.90	निरंक
21	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	4210-04-789-112-0103-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक
22	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2235-60-102-0103-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	1.00	निरंक
23	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-7213-मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	1.50	निरंक
24	75-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2217-05-800-7056-अग्निशमन सेवाएं	1.00	निरंक
<b>योग</b>			<b>186.00</b>	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 2.12

चयनित अनुदान में योजनाओं के अधीन अप्रयुक्त प्रावधान

(संदर्भ: कण्डिका 2.4.2; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण</b>							
1	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-0101-6742-जन लोक भागीदारी योजना	0.01	निरंक	0.01	100
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-0101-6743-आई.ई.सी. (सूचना एवं प्रसार)	2.45	निरंक	2.45	100
3	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-6744-फायलेरिया कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना	1.00	निरंक	1.00	100
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-6745-ऑपरेशन एवं प्रायोगिक खोज	2.00	निरंक	2.00	100
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-6746-माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान करना	2.00	निरंक	2.00	100
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-7121-परिवार कल्याण संचार की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना	1.00	निरंक	1.00	100
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-1201-7123-माता से बच्चों में होने वाले संक्रमण की रोकथाम	5.00	निरंक	5.00	100
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-101-0101-6845-आई.डी.एस.पी. प्रोजेक्ट	0.60	निरंक	0.60	100
9	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-01-110-0101-6271-जयप्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण	10.00	निरंक	10.00	100
10	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-6623-बेटी बचाओ अभियान	1.72	निरंक	1.72	100

1	2	3	4	5	6	7	8
11	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-796-103-0102-7199-विशेष केडर के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष भत्ता	8.00	निरंक	8.00	100
12	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-003-0102-7198-बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की स्वावलंबन योजना	1.00	निरंक	1.00	100
13	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-003-0102-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100
14	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-003-0102-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100
15	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-101-0102-7196-टी.बी. रोग का उपचार	1.00	निरंक	1.00	100
16	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-796-101-0102-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक	1.50	100
17	41	41/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-04-112-0102-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक	5.90	100
18	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	1.00	निरंक	1.00	100
19	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-7198-बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की स्वावलंबन योजना	1.00	निरंक	1.00	100
20	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100
21	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-789-003-0103-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	0.10	निरंक	0.10	100

1	2	3	4	5	6	7	8
22	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-101-0103-7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण	1.50	निरंक	1.50	100
23	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-800-0103-7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	10.80	निरंक	10.80	100
24	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-800-0103-7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता	40.25	निरंक	40.25	100
25	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-04-789-112-0103-7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना	9.90	निरंक	9.90	100
26	64	64/17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4210-04-789-112-0103-7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	5.90	निरंक	5.90	100
<b>योग</b>				<b>113.93</b>		<b>113.93</b>	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

**परिशिष्ट 2.13**

पूँजीगत अनुभाग से संबंधित पूँजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण

(संदर्भ: कण्डिका 2.4.5; पृष्ठ 70)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष	योजना शीर्ष	राशि
1	2	3	4	5
1	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6229	15.00
2	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2283	0.15
3	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0078	0.16
4	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6050	0.60
5	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	7558	0.50
6	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6271	0.50
7	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	6451	0.88
8	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	8798	2.00
9	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0093	0.20
10	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	1473	7.00
11	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0077	0.40
12	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	9360	0.04
13	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	7317	1.50
14	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	5998	1.10
15	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	9812	0.40
16	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	5189	0.09
17	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0859	0.20
18	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2818	0.03
19	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	8150	0.04
20	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	1070	0.33
21	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0750	0.08
22	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	3704	0.01
23	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	0336	2.00
24	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2880	0.01
25	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	2703	2.00
26	2210	63-मशीन-001-मशीन एवं संयंत्र	5008	2.00
<b>योग</b>				<b>37.22</b>

(स्रोत: विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट 3.1

मार्च 2013 की स्थिति में लंबित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी

(संदर्भ: कंडिका 3.1 ; पृष्ठ 73)

स.क्र.	विभागों के नाम	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	राजस्व	2029	1.20
2	समाज कल्याण	2235	748.03
3	नगरीय प्रशासन	3604	9547.83
4	ग्रामीण विकास	2501,2505	4880.96
5	सहकारिता	6425,2425	367.77
6	सिंचाई	2702	1.87
7	ऊर्जा	2801,2810	996.74
8	पशु पालन	2403	249.30
9	आबकारी	2039,2045	2.04
10	जेल	2056	0.02
11	महिला एवं बाल विकास	2236	86.44
12	पुलिस	2055	1.92
13	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2250	17.85
14	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	22.76
15	उद्योग	2851,2852	433.48
16	विधि एवं विधायी कार्य	2014	2.12
17	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	4942.10
18	लोक निर्माण विभाग	2216	214.16
19	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	229.89
20	मत्स्योद्योग	2405	108.41
21	पर्यटन	3452	10.81
22	कृषि	2401,4402	464.40
23	श्रम	2230	51.43
24	सामान्य प्रशासन	2075,2052	89.25
25	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	57.44
26	संस्थागत वित्त	2047	0.01
27	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	21.80
28	चिकित्सा सेवाएं	2210	9.64
29	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	379.87
30	शिक्षा विभाग	2202	4284.51
31	खेलकूद तथा युवक कल्याण	2204	10.79
32	राजभाषा एवं संस्कृति विभाग	2205	0.93
33	जिला प्रशासन	2053	5.14
	<b>योग</b>	<b>40 मुख्य शीर्ष</b>	<b>28240.91</b>

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्राप्त सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट-3.2

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधि अनुसार विश्लेषण  
(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 75)

स. क्र.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या			
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	4	21.09	3	14.99	7	7.08	5	22.35	6	8.98	26	14.76	51	89.25		
2	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	5.94	11	5.94		
3	2054-कोषालय एवं लेखे	7	376.05	0	0.00	0	0.00	1	18.25	0	0.00	9	14.79	17	409.09		
4	2215-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6	79.84	2	1.38	1	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	81.70		
5	2014-न्याय प्रशासन	2	6.79	4	3.05	0	0.00	0	0.00	1	0.44	2	0.29	9	10.57		
6	2053-जिला प्रशासन	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.80	3	0.81		
7	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.17	0	0.00	0	0.00	1	0.17		
8	2013-सामान्य प्रशासन	1	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.32		
9	2015-निर्वाचन	1	7.90	0	0.00	0	0.00	1	3.81	0	0.00	0	0.00	2	11.71		
10	2220-जन सम्यर्क	1	0.02	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.02		
11	2055-पुलिस	152	42.13	153	32.41	64	38.15	19	15.41	21	7.68	0	0.00	409	135.78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	6.40	9	8.65	5	1.82	23	16.87
13	2235-महिला एवं बाल कल्याण	0	0.00	1	1.31	1	4.04	1	0.14	4	2.26	4	3.11	11	10.86
14	2202-स्कूल शिक्षा	59	2699.81	25	37.35	8	4.40	15	8.79	20	12.84	32	14.28	159	2777.47
15	2203-तकनीकी शिक्षा	13	18.38	4	9.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	27.51
16	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.45
17	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.25	0	0.00	1	13.12	0	0.00	0	0.00	2	13.37
18	2230-श्रम तथा रोजगार	7	4.13	2	0.18	1	6.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	11.07
19	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2	43.56	1	1.33	3	1.54	2	2.99	2	0.35	1	0.02	11	49.79
20	2505-ग्रामीण रोजगार	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
21	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2	1.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.36
22	2403-पशु पालन	5	4.98	3	0.74	4	8.73	2	3.11	2	0.15	3	0.24	19	17.95
23	2401-कृषि	2	1.73	7	12.41	0	0.00	0	0.00	3	0.48	0	0.00	12	14.62
24	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	275	484.99	218	240.73	393	366.10	347	151.89	631	126.86	505	95.15	2369	1465.72
25	लोक निर्माण विभाग	4	18.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	18.66
26	जल संसाधन विभाग	6	4.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	4.84
27	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	3	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.36
	<b>योग</b>	<b>554</b>	<b>3817.39</b>	<b>426</b>	<b>355.27</b>	<b>482</b>	<b>437.28</b>	<b>404</b>	<b>246.43</b>	<b>699</b>	<b>168.69</b>	<b>600</b>	<b>151.20</b>	<b>3165</b>	<b>5176.26</b>

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संचालित सूचना पर आधारित)

परिशिष्ट 3.3

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के संबंध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 75)

स.क्र.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	19	14.68	32	74.57	51	89.25
2.	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	11	5.94	11	5.94
3.	2054-कोषालय एवं लेखे	5	23.61	12	385.48	17	409.09
4.	2215-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	6	2.46	3	79.24	9	81.70
5.	2014-न्याय प्रशासन	6	3.38	3	7.19	9	10.57
6.	2053-जिला प्रशासन	0	0.00	3	0.81	3	0.81
7.	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0	0.00	1	0.17	1	0.17
8.	2013-सामान्य प्रशासन	0	0.00	1	0.32	1	0.32
9.	2015-निर्वाचन	1	7.90	1	3.81	2	11.71
10.	2220-जन सम्पर्क	0	0.00	2	0.02	2	0.02
11.	2055-पुलिस	6	28.84	403	106.94	409	135.78
12.	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	11	9.23	12	7.64	23	16.87
13.	2235- महिला एवं बाल कल्याण	3	5.08	8	5.78	11	10.86
14.	2202-स्कूल शिक्षा	75	82.94	84	2694.53	159	2777.47
15.	2203-तकनीकी शिक्षा	11	12.22	6	15.29	17	27.51
16.	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	1	0.45	0	0.00	1	0.45
17.	2505-ग्रामीण रोजगार	2	13.37	0	0.00	2	13.37
18.	2230-श्रम एवं रोजगार	8	4.07	2	7.00	10	11.07
19.	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6	3.39	5	46.40	11	49.79
20.	2505-ग्रामीण रोजगार	0	0.00	1	0.00	1	0.00
21.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1	1.25	1	0.11	2	1.36
22.	2403-पशु पालन	7	6.70	12	11.25	19	17.95
23.	2401- कृषि	9	8.02	3	6.60	12	14.62
24.	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	39	10.00	2330	1455.72	2369	1465.72
25.	लोक निर्माण विभाग	3	11.66	1	7.00	4	18.66

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	जल संसाधन विभाग	6	4.84	0	0.00	6	4.84
27.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	3	0.36	0	0.00	3	0.36
	<b>योग</b>	<b>228</b>	<b>254.45</b>	<b>2937</b>	<b>4921.81</b>	<b>3165</b>	<b>5176.26</b>

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संघारित सूचना पर आधारित)

**परिशिष्ट 3.4**

**2012-13 के लिए अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण**

(संदर्भ: कंडिका 3.3 ; पृष्ठ 76)

स.क्र.	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में )
1	2	3	4	5	6
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	सी.एम.एच.ओ. राजगढ़	डी.एच.ओ. राजगढ़ में गबन	1	10684.00
2.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	अधीक्षक, रानी दुर्गावती अस्पताल, जबलपुर	रानी दुर्गावती (लेडी ऑल्विन) अस्पताल, जबलपुर में संदिग्ध गबन	1	88199.77
3.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	अतिरिक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल	आयुर्वेदिक अस्पताल महाविद्यालय, जबलपुर के स्टोर में चोरी	1	92364.00
4.	2211-परिवार कल्याण	सी.एम.एच.ओ. उज्जैन	गबन	1	14595.00
5.	2055-पुलिस	महानिदेशक पुलिस, मध्य प्रदेश, भोपाल	वायरलेस सेटों की चोरी के कारण हुई हानि, वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त इत्यादि	21	236683.00
6.	2202-शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी, इंदौर	किताबों को नष्ट किए जाने के कारण हुई हानि	1	4377.35
7.	2202-शिक्षा	संचालक, लोक शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल	चोरी होने के कारण हानि	1	36113.75
8.	2403-पशु पालन	संचालक, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा जैवकीय संस्थान, महु, मध्य प्रदेश	कांच से बने पदार्थ/यंत्र अनुपयोगी वस्तुएँ/ अतिरिक्त हिस्से इत्यादि	8	25656.00
9.	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट मध्य प्रदेश भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण	31	657823.00
	<b>योग</b>			<b>66</b>	<b>1166495.87</b>

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संघारित सूचना पर आधारित)

## परिशिष्ट 3.5

## लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग

(संदर्भ: कंडिका 3.6 ; पृष्ठ 78)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय (₹ करोड़ में )	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय (₹ करोड़ में )	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	68.97	68.97	100.00
2	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	13.90	13.90	100.00
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.05	8.05	100.00
4	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.76	3.76	100.00
5	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.22	6.17	99.20
6	2702	लघु सिंचाई	94.90	87.63	92.33
7	2075	विविध सामान्य सेवायें	12.64	11.54	91.30
8	2852	उद्योग	141.47	129.11	91.26
9	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	1451.76	1303.34	89.78
10	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ओंकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	2365.98	2111.99	89.26
11	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1703.78	1378.00	80.88
12	2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	85.34	53.02	62.13
13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	836.54	505.69	60.45
14	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2074.65	1137.07	54.81
15	2705	कमान क्षेत्र विकास	2.47	1.26	51.01
		<b>योग</b>	<b>8870.43</b>	<b>6819.50</b>	

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

परिशिष्ट 3.6

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुकिंग

(संदर्भ: कंडिका 3.6 ; पृष्ठ 78)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	0852	उद्योग	24.08	24.37	101.20*
2	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2443.39	2446.13	100.11*
3	0801	बिजली	370.69	370.69	100.00
4	0702	लघु सिंचाई	379.62	379.62	100.00
5	0220	सूचना एवं प्रचार	0.21	0.21	100.00
6	0211	परिवार कल्याण	0.23	0.23	100.00
7	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	18.94	18.94	100.00
8	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9.78	9.75	99.69
9	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	45.77	44.07	96.29
10	0217	शहरी विकास	41.61	39.39	94.66
11	0700	मुख्य सिंचाई	57.22	50.79	88.76
12	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1682.50	1488.22	88.45
13	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.60	2.21	85.00
14	0059	लोक निर्माण-कार्य	33.22	28.17	84.80
15	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	44.83	30.72	68.52
16	1601	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	12040.20	7199.90	59.80
17	0215	जलपूर्ति तथा सफाई	11.09	5.95	53.65
18	0403	पशु पालन	2.46	1.27	51.63
		<b>योग</b>	<b>17208.44</b>	<b>12140.63</b>	

(स्रोत: वित्त लेखे 2012-13)

\* मुख्य शीर्ष के अंतर्गत निवल आंकड़े, मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 900-घटाएँ वापसियाँ के प्रभाव के कारण लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों से कम थे।